(4)

प्रकरण संख्या : 43/2022
तोफा देवी वगै. बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक : 25.05.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गौरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	43/2022
दायर दिनांक	:	19.07.2022
निर्णय दिनांक	:	25.05.2023

उनवान

1. तोफा देवी पत्नी स्व. रमेशचन्द जाति बलाई (बैरवा), निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा
2. गिर्राज पुत्र रमेशचन्द जाति बलाई (बैरवा), निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा
3. नीरू पुत्री रमेशचन्द जाति बलाई (बैरवा), निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा
4. ममता पुत्री रमेशचन्द जाति बलाई (बैरवा), निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा
5. सपना पुत्री रमेशचन्द जाति बलाई (बैरवा), निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा दौसा कलाँ के रहने वाले हैं। ग्राम गणेशपुरा में आराजी खसरा नम्बर 182/889 रकबा 0.12 है., 185 रकबा 1.39 है., 186/869 रकबा 0.14 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.65 है. स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम से है तथा प्रत्येक का 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्सा है। उपरोक्त आराजीयात के पडौसी काश्तकारान आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते हैं। काश्त का वक्त नजदीक है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की वास्तविक पैमाइश कराकर पत्थरगढी कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पूर्व में दिनांक 09.06.2014 व 28.06.2013 को भी सीमाज्ञान करवा लिया था इसके वावजूद भी अनावश्यक रूप से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार दौसा को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि वे राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से ग्राम गणेशपुरा में आराजी खसरा नम्बर 182/889 रकबा 0.12 है., 185 रकबा 1.39 है., 186/869 रकबा 0.14 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.65 है. भूमि की वास्तविक पैमाइश कर उक्त कृषि भूमि के चारों तरफ पत्थर गाढकर पत्थरगढी के निशानात कायम करे। ताकि भविष्य में सीमा संवंधी कोई विवाद न रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023 के तहत् आयोजित शिविर ग्राम पंचायत गणेशपुरा में लोक अदालत की भावना से तलब की गयी। तहसीलदार दौसा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का दिनांक 28.06.2013 एवं 09.06.2014 को सीमाज्ञान करवाया गया है। उक्त खसरा नम्बरान पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। उक्त भूमि मौके पर वर्तमान में खाली है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान पेचीदा है। उक्त खसरा नम्बरान ग्राम नामोलाव की सीमा पर स्थित है।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

उक्त भूमि की पत्थरगढी मय राजस्व टीम मय पुलिस जाप्ता के किया जाना सम्भव है। पडौसी खातेदारों की सुनवाई किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी ने शिविर में उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है एवं तहसीलदार दौसा ने भी अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि की पत्थरगढी मय राजस्व टीम मय पुलिस जाप्ता के किया जाना सम्भव बताया है। वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूँकि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार दौसा ने कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं होना अवगत कराया है तथा पत्थरगढी मय राजस्व टीम मय पुलिस जाप्ता के किया जाना सम्भव बताया है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो, तो प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 182/889 रकबा 0.12 है॰, खसरा नम्बर 185 रकबा 1.39 है॰, खसरा नम्बर 186/869 रकबा 0.14 है॰ कुल किता 3 कुल रकबा 1.65 है॰ वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाप्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी ... दौसा (राज.)

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)